प्रार्थीया अपनी उक्त हकीकी भूमि की सूरक्षा करने की अधिकारिनी है। प्रथम दृश्य केस प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। वादीया अपने मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के 1/3 हिस्सा की अकेली वारिस होने के नाते उक्त भूमि के खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 वादीया का पति है। तथा प्रतिवादी सं0 2 वादीया का पुत्र है जो वादीया के परिवार के सदस्य है। वादीया वादगत भूमि वादीया के नाम से दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कई बार कहा परन्तु उन्होंने कोई गौर नहीं किया और आज से अर्सा 4 रोज पूर्व वादीया द्वारा अन्तिम बार प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि वादीया के नाम दर्ज कराने के लिये कहा तो वह साफ इन्कार हो गये और धमकी देने लगे कि हम 2/3 हिस्सा भूमि लेकर रहेगें तथा वादीया को वादगत भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर देगें। वादी प्रतिवादगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पाने की भी अधिकारिनी है। कि वोह वादगत भूमि में वादीया के कब्जा काश्त में कोई दखलदान्जी नहीं करें। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 30 के मुरबा नं0 4 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 24, 25 की 2.328 है0 व मुरबा नं0 10 के किला नं0 11 से 24 की 3.542 है0 व मुरबा नं0 19 के किला नं0 1 से 4 की 1.012 है0 व मुरबा नं0 28 के किला नं0 23/2 की 0.063 है0 कुल 6.945 है0 मुशर्तका खाता में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल पुत्र जगतार सिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक जीवनदेसर की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं0 251 के मुरबा नं0 125 के किला नं0 11 ता 25 की 3.795 है0, मुरबा नं0 126 के किला नं0 11/2, 12/2, 19, 20,21 की 0.549 है0 में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक 31 आरबी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं0 25 के मुरबा नं0 14 के किला नं0 16, 17, 23 ता 25 सालम की 1.265 है0, मुरबा नं0 15 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 कुल 2.530 है0 मुर्शतका खाता में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक जीवनदेसर के खाता सं0 55 के मुरबा नं0 70 की 3.163 है0 में वादीया के पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा दी जायें कि वोह वादगत भूमि में वादीया के कब्जा काश्त मे कोई दखलदाजी नहीं करें।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:25:01 IST
Reason: SelfAttested